If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental promotion committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital --Chairman (2) Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital --Member (3) Deputy Director in-charge of Medical Education Section, Directorate General of Health Services --Member	Not applicable.

[F.No. A-11018/26/2015-MH-II]

G. A. RAGHUVANSHI, Under Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2018

सा.का.नि. 102.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर (श्रेणी-1 और श्रेणी-2 पद) भर्ती नियम, 1964, जहां तक उनका संबंध मुख्य डिजाइनर और राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर (नक्शानवीस) भर्ती नियम, 2003 पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, में मुख्य डिजाइनर और वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, मुख्य डिजाइनर और वरिष्ठ ड्राफ्समैन (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.-** ये नियम इनसे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में निर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.-** कोई व्यक्ति; –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
मुख्य डिजाइनर	01*(2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-10 (56,100/- से 1,77,500/- रुपए)

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु-सीमा और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	एक वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है
(11)	(12)
प्रोन्नति: समूह 'ख' में वेतन मैट्रिक्स (35,400-1,12,400 रुपए) के स्तर 6 में वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन, जिन्होंने ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो और किसी उन्नत प्रशिक्षण संस्थान अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संगठन या संस्थान से आटोकैड अथवा यांत्रिक डैस्कटाप पर अल्पकालिक पाठयक्रम या प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।	**1. समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) में निम्नलिखित शामिल होंगे:-** (1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष (2) संयुक्त सचिव (शर्करा), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग - सदस्य

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा अर्ध सरकारी या स्वायत्तशासी निकाय या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी- (क)(i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हों; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपए) के पद अथवा समतुल्य पद पर ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद अथवा मूल संवर्ग या विभाग में तीन वर्ष की सेवा की हो; अथवा (iii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए) के पद अथवा समतुल्य पद पर ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद अथवा मूल संवर्ग या विभाग में आठ वर्ष की सेवा की हो; अथवा (ख): निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से मैकेनिकल इंजिनियरी में डिग्री या मैकेनिकल इंजिनियरी के इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (ए एम आई ई) का एसोसिएट सदस्य; और (ii) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा अर्ध सरकारी या स्वायत्तशासी निकाय या कानूनी संगठन में शर्करा मशीनरी अथवा रासायनिक संयंत्र से संबंधित डिजाइन कार्य का तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पणी 1: पोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति वाले अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे। टिप्पणी 2: केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित किसी संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 3: आवदेन प्राप्ति की अंतिम तारीख को प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) हेतु नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु- सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	(3) निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य **2. समूह 'क' विभागीय स्थायीकरण (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) समिति में शामिल हैं :-** (1) संयुक्त सचिव (शर्करा), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग - अध्यक्ष (2) निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य (3) निदेशक अथवा उप सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग - सदस्य

वे परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है।
(13)
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन	5*(2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 6 (35,400/- से 1,12,400/- रुपए)

(5)	(6)	(7)
चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्षों तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले का पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	**आवश्यक:** (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरी में डिप्लोमा; और (ii) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध-सरकारी अथवा स्वायत निकायों अथवा कानूनी संगठनों अथवा सूचीबद्ध प्राइवेट सेक्टर के संगठनों** में संबंधित क्षेत्र में ड्राफ्ट्समैनशिप का दो वर्ष का अनुभव। **वांछनीय:-** किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आटोकैड से संबंधित सॉफ्टवेयर का छः माह का अनुभव। ** निगमित संस्थाएं जो देश के मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हों अथवा पब्लिक अंश (शेयर) धारी कम्पनियां। **टिप्पण 1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव सम्बंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती तथा प्रोन्नत व्यक्तियों हेतु दो वर्ष **टिप्पण:** सीधी भर्ती से आए अभ्यर्थियों हेतु दो वर्ष की अवधि में दो सप्ताह के अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने की अवधि भी शामिल है।	(1) 20 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित); (2) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)
प्रोन्नति: समूह 'ग' में ऐसे विभागीय ड्राफ्ट्समैन जिन्होंने ग्रेड में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100 रुपए) में 10 वर्ष की नियमित सेवा की है और व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत किसी उन्नत प्रशिक्षण संस्थान (ए टी आई) से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):** केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा अर्ध सरकारी या स्वायत्तशासी निकाय या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी जो - (क)(i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हों; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29,200-92,300 रुपए) के पद पर अथवा समकक्ष श्रेणी में मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात छः वर्ष की सेवा की हो; अथवा (iii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25,500-81,100 रुपए) के पद पर अथवा समकक्ष ग्रेड में मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दस वर्ष की सेवा की हो; और (ख) स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट शैक्षिक अर्हताऐं और अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति वाले अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग	**1. समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) में निम्नलिखित शामिल होंगे:-** (1) निदेशक अथवा आचार्य (किसी भी विषय में), राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - अध्यक्ष (2) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य (3) सहायक आचार्य (किसी भी विषय में), राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य **2. समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) समिति में शामिल हैं :-** (1) निदेशक अथवा आचार्य (किसी भी विषय में) राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - अध्यक्ष (2) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य , (3) सहायक आचार्य (किसी भी विषय में) राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य

में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) हेतु नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(13)
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/13/2010-एस ए]

राजीव महेंद्र, उप सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

New Delhi, the 23rd March, 2018

G.S.R. 102.–In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Sugar Institute, Kanpur (Class I and Class II Posts) Recruitment Rules, 1964 in-so-far as they relate to the post of Chief Designer and the National Sugar Institute, Kanpur (Draftsmen) Recruitment Rules, 2003, in-so-far as they relate to the post of Draftsman Grade-I, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Chief Designer and Senior Draughtsman, in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, National Sugar Institute, Kanpur namely :-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Department of Food and Public Distribution, National Sugar Institute, Kanpur, Chief Designer and Senior Draughtsman (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.-** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.** – The number of said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.** – No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Powers to relax .-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving .-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Chief Designer.	01* (2018) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 (Rs.56,100-1,77,500).

Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancy to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	One year	By promotion failing which by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition-
(11)	(12)
Promotion: Senior Draughtsman in Group 'B' in level-6 (Rs.35,400-1,12,400) in pay matrix with eight years regular service in the grade; and having successfully completed the short-term course or training on AutoCAD or Mechanical Desktop from the Advanced Training Institute or some other recognised organisation or institute. **Note:-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract):-** Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research institutions or semi-Government or autonomous bodies or statutory organisations,- (A)(i) holding analogous posts on regular basis in the	**1. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** (1) Chairman/Member, Union Public Service Commission - Chairman (2) Joint Secretary (Sugar), Department of Food and Public Distribution - Member (3) Director, National Sugar Institute, Kanpur - Member **2. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (1) Joint Secretary (Sugar), Department of Food and Public Distribution - Chairman (2) Director, National Sugar Institute, Kanpur - Member (3) Director or Deputy Secretary, Department of Food and Public Distribution - Member

parent cadre or Department; or (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-7 (Rs.44,900-1,42,400) in pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-6 (Rs.35,400-1,12,400) in pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing the following educational qualifications and experience:- (i) Degree in Mechanical Engineering from a recognised University or Institute or Associate Member of Institution of Engineers (AMIE) in Mechanical Engineering; and (ii) three years experience of Design work relating to sugar machinery or chemical plant in Central Government or State Governments or Union territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research institutions or semi-Government or autonomous bodies or statutory organisations. **Note 1:-** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:-** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:-** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(13)
Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Senior Draughtsman	05* (2018) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'B' Non-gazetted Non-Ministerial.	Level 6 (Rs.35,400-1,12,400).

(5)	(6)	(7)
Selection.	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of the state of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	**Essential:-** (i) Diploma in Mechanical Engineering from a recognised Board or Institute; and (ii) Two years experience in draughtsmanship in the concerned field from the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research institutions or semi-Government or autonomous bodies or statutory organisations or listed private sector organisations**. **Desirable:-** Six months experience on the software relating to AutoCAD from a recognised institute. ** Corporate entities which are listed on the recognised stock exchanges of the country, or companies with public shareholding. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for direct recruits and promotees. **Note:** The period of two years for direct recruits shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.	(i) 20 per cent by promotion, failing which by deputation (including short-term contract); (ii) 80 per cent by direct recruitment.

(11)	(12)
Promotion:- Departmental Draughtsman in Group 'C' in level-4 (Rs.25500-81100) of Pay Matrix with ten years' regular service in the grade and successfully completed training of four weeks from Advanced Training Institute (ATI) under Advanced Vocational Training Programme. **Note:-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion,	**1. Group 'B' Departmental Promotion Committee:-** (1) Director or Professor (any discipline), National Sugar Institute, Kanpur - Chairman (2) Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Member (3) Assistant Professor (any discipline), National Sugar Institute, Kanpur - Member

their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract):-** Officers under Central Government or State Governments or Union Territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised research institutions or semi-Government or autonomous bodies or statutory organisations,- (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-5 (Rs.29,200-92,300) in pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-4 (Rs.25,500-81,100) in pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (B) possessing the educational qualification and experience as specified in column (7). **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short-erm contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	**2. Group 'B' Departmental Confirmation Committee :-** (1) Director or Professor (any discipline), National Sugar Institute, Kanpur - Chairman (2) Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Member (3) Assistant Professor (any discipline), National Sugar Institute, Kanpur - Member

(13)
Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/13/2010-SA]

RAJIV MAHENDRU, Dy. Secy.

iii. स्तंभ (11) के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के बदले निम्नांकित प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा।

प्रोन्नति –

स्तर 5 (29200-92300 रु. में ऐसा कनिष्ट कार्टोग्राफिक सहायक जिसने श्रेणी में 6 (छह) वर्ष सेवा की हो ।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों ने, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, की प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

[मिसिल सं. 16-1/2009/एनआरएम-II]

हरित कुमार शाक्य, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) तारीख 9 फरवरी, 2013 में अधिसूचना संख्या सा.का.नि 38, तारीख 8 फरवरी, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

New Delhi, the 9th March, 2018

G.S.R. 104.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Soil and Land Use Survey of India (Senior Cartographic Assistant) Recruitment Rules, 2013, namely:-

1. (1) These rules may be called the Soil and Land Use Survey of India (Senior Cartographic Assistant) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Soil and Land Use Survey of India (Senior Cartographic Assistant) Recruitment Rules, 2013:-

   (a) in rule 2, for the words " pay band and grade pay or pay scale" and "pay band, grade pay or pay scale", the words "Level in the Pay Matrix" shall be substituted;

   (b) in the Schedule:-

   (i) in column (4), for the existing heading the heading 'Level in the Pay Matrix' shall be substituted;

   (ii) under column(4) for the existing entry, the entry Level 6 (Rs.35400-112400) in the Pay Matrix shall be substituted;

   (iii) under column (11) for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :-

   "Promotion:

   Junior Cartographic Assistant in level 5 (Rs. 29200-92300) with 6 (six) years regular service in the grade.

   Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

[F.No.16-1/2009/NRM-II]

HARIT KUMAR SHAKYA, Under Secy.